

**आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 01/07/2019**

“सरकार इस प्रकार के कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”

**(I) पद का विवरण:**

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (भापअ केंद्र), मुंबई / विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट), नवी मुंबई द्वारा निम्नलिखित वर्ग 'ग' पद के लिए ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है :

पोस्ट कोड	डीआर/01
पद का नाम	कार्य सहायक/ए
सेवा का वर्ग	वर्ग ग (अराजपत्रित)
रिक्तियों की संख्या	74 (एससी-01, एसटी-01, ओबीसी-62 <sup>#</sup> , यूआर-08 <sup>*</sup> , ई.डबल्यू.एस-02 <sup>*</sup> ) # 58 बँकलाग रिक्तिया शामिल हैं; *ब्रिट, नवी मुंबई का 01 पद शामिल हैं।
वेतन	₹ 18000/- (सेल सं.1 वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1) + केंद्र सरकार नियमावली के अंतर्गत यथा अनुमेय भत्ते।
आयु	आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख पर न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम (यूआर- 27 वर्ष, एससी/एसटी-32 वर्ष, ओबीसी-30)।
शैक्षणिक योग्यता	दसवीं/एसएससी पास
कार्यों का स्वरूप	1. प्रयोगशालाओं और कार्यालय भवनों के प्रसाधन सामग्री का रखरखाव और आसपास के क्षेत्रों सहित शौचालय, क्षेत्र में स्वच्छ, साफ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना और कार्यालय के विविध कार्य करना। संयंत्र/ मशीनरी की सफाई और शुद्धिकरण, संयंत्र/ कार्यशाला/भण्डार और अन्य उपयोगी कार्यों में सहायता करना। ड्यूटी में रातदिन चलने वाली पारी में कार्य करना भी शामिल हैं। 2. मिट्टी को खोदकर और विभिन्न पौधों के रोपण से बगीचों को विकसित करना ड्यूटी में शामिल हैं; बगीचे की सफाई, पानी, खरपतवार, लवाई, खाद, छिडकाव से रखरखाव और फूलों की व्यवस्था करना। 3. जुताई, कटाई, बीज छँटाई/ पैकिंग, कीटनाशकों और उर्वरक से उपचार, पक्षियों से बचाना आदि सहित कृषि संचालन। 4. विविध कार्यालयीन कार्य इत्यादि।

यह पद बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पहचाना जाएगा (भारत सरकार के आदेशों के अनुसार)। पहचानी गई अशक्तता: हड्डियों से संबंधित दिव्यांगता (एक पैर/एक बांह प्रभावित), सुनने की अशक्तता (आंशिक बहरापन) तथा देखने की अशक्तता (आंशिक अंधापन)। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहचाने गए पोस्ट का आरक्षण भारत सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। शारीरिक अशक्तता 40% से कम नहीं होनी चाहिए।

**नोट:** “श्रवण दुर्बलता” का अर्थ है कि बेहतर कान में वार्तालाप आवृत्ति की तीव्रता साठ डेसिबल या अधिक की क्षति।

निम्नानुसार निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी :

1	उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमेय होगी जो व्यक्ति मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे थे, बशर्ते किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट, संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी।
2	1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमेय है।
3	भारत सरकार के आदेशों के अनुसार पूर्व-सैनिकों हेतु आयु में छूट होगी।
4	भारत सरकार के आदेशों के अनुसार उन विभागीय अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी जिन्होंने केन्द्र सरकार में उसी लाइन में अथवा संबंधित काडर में आवेदन करने की अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी की है।
5	विधवा, तलाकशुदा तथा अपने पति से कानूनी रूप से अलग हुई ऐसी महिलाएं जिन्होंने दुबारा शादी नहीं की है वे भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं।
6	भारत सरकार के आदेशों के अनुसार मेधावी खिलाड़ी भी ऊपरी आयु में छूट के पात्र होंगे।
7	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा में यूआर श्रेणी हेतु 10 वर्ष, एससी/एसटी 15 वर्ष तथा ओबीसी हेतु 13 वर्ष छूट अनुमेय होगी।

## (II) चयन प्रक्रिया:

पद सं.	कोड	परीक्षा	चयन की पद्धति
डीआर/01		चरण -1: प्रारंभिक परीक्षा	एक घंटे की परीक्षा में गणित(20 प्रश्न), विज्ञान (20 प्रश्न) एवं सामान्य ज्ञान(10 प्रश्न) के 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। अंक योजना : प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक मिलेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काटा जाएगा। नोट : सामान्य श्रेणी में <40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए निम्नतम कट-ऑफ 30% से कम पर नियत नहीं किया जाएगा। <b>हालांकि, स्टेज -2 के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या स्टेज -1 में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, लेकिन स्टेज -2 के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 4-5 गुना अधिक नहीं होगी।</b>
		चरण -2 : प्रगत परीक्षा	चरण-1 प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों हेतु दो घंटे की प्रगत परीक्षा होगी जिसमें गणित (15 प्रश्न), विज्ञान (15 प्रश्न), सामान्य ज्ञान (10 प्रश्न) एवं अंग्रेजी (15 प्रश्न) विषयों पर 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। अंक योजना : प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक मिलेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काटा जाएगा। चरण-2 में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंतिम योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी।

		<p>टाई की स्थिति में, योग्यता सूची में पद निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• चरण -2 में कम नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा ।</li> <li>• चरण -1 में उच्च अंक वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा ।</li> <li>• चरण -1 में कम नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा ।</li> <li>• चरण -1 में गणित में उच्च सकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान पर रखा जाएगा ।</li> <li>• चरण -1 में विज्ञान में उच्च सकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान पर रखा जाएगा ।</li> </ul>
--	--	---

**(III) आवेदन शुल्क: 'आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होगा'**

- डीआर-01 हेतु ₹ 100/- (केवल सौ रुपये) ।
- महिला अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति और पूर्व सैनिकों को भारत सरकार के आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क में छूट है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निर्मित आवेदन संख्या का प्रयोग करते हुए आवेदक को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । तथापि, शुल्क का भुगतान 'नहीं' करने पर आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा तथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।
- शुल्क के भुगतान हेतु 'My Account' मेन्यू के अंतर्गत 'Make Payment' पर अभ्यर्थी को क्लिक करना होगा । आवेदन प्रस्तुतीकरण के समय निर्मित नंबर को Drop-down box से चुना जा सकता है और 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन भुगतान हेतु अगले पृष्ठ पर जाया जा सकता है ।
- "How to Apply→Payment of fees" मेन्यू के अंतर्गत आवेदन शुल्क भुगतान हेतु विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया है ।
- एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जा सकता है और किसी अन्य भर्ती हेतु इसे रिजर्व नहीं किया जा सकता है ।
- ऑनलाइन आवेदन के प्राप्त होने की अंतिम तारीख पर अथवा इससे पूर्व आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया जाए।

**(IV) विद्यमान अतिरिक्त लाभ:**

नियमों के अंतर्गत अनुमेय सामान्य वेतन एवं भत्तों के अलावा, परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी निम्नलिखित के भी हकदार होंगे :

- उत्साहजनक कार्य का वातावरण
- उच्च ग्रेडों में पदोन्नति
- आकर्षक कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन
- आकर्षक व्यावसायिक उन्नयन भत्ता
- स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखरेख
- स्वयं एवं परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत
- शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति / भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विभागीय आवास

**(V) सामान्य शर्तें:**

1	<b>आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।</b>
2	ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 08/06/2019 से 01/07/2019 तक खुली रहेगी। कृपया ऑनलाइन आवेदनों के विवरण हेतु वेबसाइट < <a href="https://recruit.barc.gov.in">https://recruit.barc.gov.in</a> > देखें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि “How to apply” विकल्प पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए निदेशों को पढ़ें।
3	एक अभ्यर्थी का केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा।
4	अभ्यर्थी सही सूचना देना सुनिश्चित करें। जो अभ्यर्थी गलत सूचना देते हैं वे लिखित परीक्षा के लिए अयोग्य हो जाएंगे। भापअ केंद्र के पास किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।
5	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी आवेदन में इसे स्पष्ट रूप से इंगित करें (चाहे वे अनारक्षित रिक्ति हेतु आवेदन कर रहे हों) और लिखित परीक्षा के समय निर्धारित प्रारूप में इसका साक्ष्य प्रस्तुत करें, ऐसा न होने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा और बाद में जाति की स्थिति के परिवर्तन हेतु किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
6	अभ्यर्थियों के पास अपना वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन्हें भर्ती की प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाए।
7	अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट देखें। भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचनाओं को अभ्यर्थी को सूचना देने के समान माना जाएगा।
8	ऊपर दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम एवं परिवर्तनशील हैं। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की भर्ती सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार की जाएगी और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार उन्हें भरा भी नहीं जा सकता है।
9	प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत नामिका बद्ध अभ्यर्थियों को केवल तभी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा जब मुख्य सूची का अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता है। प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन पैनल तैयार करने की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी या ऐसे किसी भी भर्ती को अधिसूचित करने के बाद, जो पहले हो।
10	लिखित परीक्षा के समय अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश पत्र (वेबसाइट से डाउनलोड किए गए) का प्रिंट आउट के साथ पहचान साक्ष्य के लिए (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/वोटर कार्ड) की मूल प्रति भी लाएं और विज्ञापन में यथा सूचीत के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों की स्वसाक्ष्यांकित प्रतियां भी लाएं।
11	विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार पात्रता मानदंड आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन में दिए गए सभी पात्रता मानदंडों तथा शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हैं।
12	जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के अंतिम तारीख तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है या नहीं करेंगे, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे अतः वे आवेदन न करें।

13	अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सीजीपीए या समतुल्य ग्रेडों को विश्वविद्यालय/ संस्थान के मानदंडों के अनुरूप प्रतिशत में परिवर्तन पद्धति अनुसार परिवर्तन द्वारा अंकों के समतुल्य प्रतिशत के रूप में उल्लिखित करना होगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
14	केवल विज्ञापन में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने मात्र से कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के योग्य नहीं होता है।
15	अभ्यर्थियों की तैनाती सक्षम प्राधिकारी के विवेक और रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार तय होगी और वे भारत के किसी भी भाग में तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने के लिए बाध्य होंगे।
16	केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं स्वायत्त निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, उन्हें लिखित परीक्षा के समय 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17	चरण-1 लिखित परीक्षा हेतु बाहर से बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सबसे छोटे मार्ग का द्वितीय श्रेणी का आने-जाने का रेल किराया यात्रा-भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तथापि, लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए यात्रा करने हेतु जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थीगण पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार सेवा, केंद्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, स्थानीय सरकारी संस्थान, पंचायत में कार्यरत हैं और रेलवे से यात्रा संबंधी रियायत ले चुके हैं वे इस यात्रा-भत्ता के पात्र नहीं होंगे। <a href="https://recruit.barc.gov.in/Job%20Application/Download%20Forms/TA%20Claim%20Form">https://recruit.barc.gov.in /Job Application / Download Forms / TA Claim Form</a> के विकल्प से टीए फार्म डाउनलोड करें। टीए प्रतिपूर्ति स्व अभिप्रमाणित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और टिकट प्रस्तुत करने के आधार पर की जाएगी।
18	उक्त श्रेणियों में कार्य करने वालों के कार्यों का स्वरूप में परिचालन संयंत्रों एवं क्षेत्रों में सतत पारी में काम करना शामिल है।
19	चयनित अभ्यर्थी, उनकी नियुक्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से शासित होंगे।
20	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अग्रिम रूप से बिना अंतिम तारीख की प्रतीक्षा किए हुए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।
21	भापअ केंद्र बिना सूचीत किए अथवा बिना कोई कारण बताए पद भरने / रद्द करने/ प्रतिबंध करने/ संशोधन करने / पूरी भर्ती प्रक्रिया परिवर्तित करने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है।
22	भारत सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।
23	पूर्व सैनिक जो अपने पुनः नियोजन हेतु पूर्व सैनिकों को दिए जानेवाले आरक्षण का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार के अंतर्गत सिविल पक्ष में नियमित आधार पर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं वे पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के हकदार नहीं होंगे।

**(VI) लिखित परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां:**

1	उपयुक्त प्रमाण पत्र और मार्क शीट द्वारा समर्थित शैक्षणिक योग्यताएं (परीक्षा में लिए गए विषयों का उल्लेख करते हुए), अनुभव, आदि के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
2	जन्म तारीख/आयु का प्रमाण। केवल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट/मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र /नगरपालिका जन्म प्रमाणपत्र या समतुल्य प्रमाणपत्र ही स्वीकार्य हैं।
3	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी (अनुलग्नक 1* के अनुसार जाति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उस समुदाय को संबंधित राज्य के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया हो)।
4	ओबीसी के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र, गैर नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में

	<p>प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उस समुदाय को अन्य पिछड़ी जाति की केंद्रीय सूचीयों में शामिल किया गया हो। अन्य पिछड़ी जाति गैर नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख पर वैध होना चाहिए। अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी <b>अनुलग्नक-2*</b> में दिए गए प्रपत्र में नवोन्नत वर्ग स्थिति को स्वयं घोषित करेंगे।</p> <p>आयु में छूट एवं आरक्षण के प्रयोजन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब "अन्य पिछड़े वर्ग के वो व्यक्ति जो नवोन्नत वर्ग से संबंधित नहीं हैं," जिसका वर्णन भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) में उल्लिखित है और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरईएस), दिनांक 14/10/2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरईएस), दिनांक 27/05/2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था (आरईएस) के द्वारा परिवर्तित और भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) द्वारा नवीनतम परिवर्तन के अनुसार संशोधित है। (<b>अनुलग्नक-3*</b> में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।</p>
5	सेवामुक्ति प्रमाणपत्र (केवल पूर्व सैनिकों के लिए लागू)।
6	वर्ष 1984 के दंगों से प्रभावित होने का सबूत। (यदि आयु सीमा में छूट हेतु दावा करते हैं)।
7	<p>दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 तक कश्मीर संभाग में अधिवासी होने का प्रमाणपत्र (यदि कश्मीर संभाग हेतु आयु सीमा में छूट हेतु दावा करते हैं।)</p> <p>आवासीय साक्ष्य का प्रमाणपत्र-नियम 3 के अंतर्गत अनुमेय आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, कश्मीर विभाग के उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके अधिकारी-क्षेत्र का वह सामान्य रहवासी हो; अथवा जम्मू एवं कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर विभाग का सामान्य अधिवासी रहा है।</p>
8	शारीरिक दिव्यांगता के लिए उचित प्राधिकारी से शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ( <b>अनुलग्नक 4*</b> में दिए गए प्रपत्र के अनुसार) (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए लागू)।
9	<p><b>आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण :</b></p> <p>जो अभ्यर्थीगण एससी/एसटी/ओबीसी हेतु आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹ 8 लाख (रुपये आठ लाख) से कम हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। इस आय में आवेदन वर्ष से एक वर्ष पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों द्वारा हुई आय को शामिल किया जाएगा अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि सभी स्रोतों से हुई आय इस में शामिल होगी। जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित संपत्ति में से कुछ भी होगा, उनकी पारिवारिक आय चाहे जो भी हो, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 5 एकड़ और इससे अधिक कृषि भूमि;</li> <li>(ii) 1000 वर्ग फुट और इससे अधिक का आवासीय फ्लैट;</li> <li>(iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज़ और इससे अधिक का आवासीय भूखंड;</li> <li>(iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज़ और इससे अधिक का आवासीय भूखंड;</li> </ul> <p>जब भूमि अथवा संपत्ति के लिए आवेदन किया जाए तो ईडब्ल्यूएस स्थिति का निर्धारण करने हेतु जांच के दौरान "परिवार" के स्वामित्व में विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न जगह/शहरों की भूमि अथवा समग्र संपत्ति को जोड़ा जाएगा।</p> <p>इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द का अभिप्राय है कि जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेना</p>

	<p>चाहते हैं, उनके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले भाई बहन, तथा उनके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।</p> <p>सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। <b>अनुलग्नक-5*</b> में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस हेतु अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा :</p> <p>(क) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।</p> <p>(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।</p> <p>(ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से कम न हो और</p> <p>(घ) उस क्षेत्र का उप विभागीय अधिकारी जहां प्रायः अभ्यर्थी एवं/अथवा उसका परिवार रहता हो</p> <p>ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित रिक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र होना आवश्यक है जिसकी तारीख इस विज्ञापन हेतु आवेदन के प्राप्त करने की अंतिम तारीख हो। इन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के दौरान वैध आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन अनुबंधों का अनुपालन न होने के बारे में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण हेतु उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी/आवेदन पर केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा यदि वे सामान्य (यूआर) श्रेणी हेतु पात्रता शर्तों को पूरा करते होंगे।</p> <p>इस विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख तक ही ईडब्ल्यूएस स्थिति पर विचार किया जाएगा, यदि वे पात्र हैं तो। इसके बाद अभ्यर्थी के समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति में कोई भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।</p>
10	कोई अन्य संबंधित प्रमाणपत्र (यथा लागू)।

**(VII) शारीरिक दिव्यांगता के लिए उचित प्राधिकारी से शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र:**

1	केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उपधारा (1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.1996 को अधिसूचित दिव्यांग (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) नियमवली के अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। केंद्र/राज्य सरकार द्वारा कम से कम तीन सदस्यों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए जिसमें से एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।
2	जिनकी दिव्यांगता अस्थायी है, उनके लिए यह प्रमाणपत्र 5 वर्ष की अवधि तक ही मान्य रहेगा। चिकित्सा बोर्ड को प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि इंगित करनी होगी जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में भिन्नता की संभावना हो। वे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता स्थाई है, उनके प्रमाणपत्र स्थाई रूप से वैध हो सकते हैं। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर, चिकित्सा बोर्ड मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों से संबंधित अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में जैसे सही लगे वैसे आदेश पारित कर सकता है।
3	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग / ईडब्ल्यूएस के दिव्यांग व्यक्ति जिनका चयन बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के बल पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों में माना जाएगा बशर्ते कि वह पद दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित श्रेणी में आता है (यथा लागू)।

\*वेबसाइट <<https://recruit.barc.gov.in>> पर लिंक < **Job application / Download forms** > का अनुपालन करते हुए अनुलग्नक डाउनलोड किए जा सकते हैं।

**चेतावनी:**

लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर लघुसूचीकृत किया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई सूचनाएं सही हैं। यदि भर्ती के किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना अथवा उनके द्वारा किए गए दावे गलत हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।

**इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल मुंबई न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।  
जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है, उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तारीख से 6  
माह तक की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा।**

**किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश को अयोग्यता माना जाएगा।**